झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ०एफ०पी० भवन, एच०ई०सी० परिसर, भूतल, धुर्वा, राँची।

।। आम सूचना ।।

एतद द्वारा सभी वाहन स्वामी को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्णय के आलोक में कोरोना महामारी (प्रथम एवं द्वितीय फेज) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने हेतु राज्य में प्रभावी लॉकडाउन/स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण अपरिचालित मंजिली बसों/स्कूल बसों के कर से छूट तथा झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत राज्यान्तर्गत निबंधित वैध परमिटधारी व्यवसायिक वाहनों तथा दिनांक–17.10.2019 के पश्चात् झारखण्ड में निबंधित बसों जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है के बकाया मार्गकर से जनित अद्यतन दंड शुल्क माफी की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त अधिसूचना की कंडिका–03 (i), (ii), (iii),(iv) से अच्छादित वाहन स्वामी वांछित टैक्स छूट प्राप्ति हेतु विभागीय वेबसाईट https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ऑनलाईन विहित आवेदन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कंडिका–04 से आच्छादित वाहन स्वामी संबंधित वाहन के अद्यतन बकाया मार्गकर की मूल राशि एकल संव्यवहार (One Time Transaction) के अंतर्गत राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त छूट की प्रक्रिया दिनांक 15.07.2022 से 14.08.2022 तक की अवधि में ही की जायेगी। विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाईट https://jhtransport.gov.in तथा https://spermit.jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

12/07/22

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:–परि०आ०(कर माफी)–120/2020 864 राँची, दिनांक– 12.07.2022

प्रतिलिपि:–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस विज्ञापन को झारखण्ड के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:–परि०आ०(कर माफी)–120/2020 864 राँची, दिनांक– 12.07.2022

प्रतिलिपि:–राज्य सूचना पदाधिकारी, एन.आई.सी., धुर्वा, राँची/पी०एम०यू० परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना के अनुरूप में आवश्यक तैयारी/कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

F:\D-Drive\Abhay sir\Aam Suchana.docx